

राजस्थान सरकार  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

क्रमांक प.9(3)सम्पर्क/2017-18/13893-931

जयपुर, दिनांक 18/07/17

अधिसूचना

राज्य के अधिस्वीकृत पत्रकारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने संबंधि अधिसूचना दिनांक 09.05.2008 में आंशिक संशोधन कर नियम 5 के बिन्दु संख्या (IV) में रूपये 2500-00 के स्थान पर रूपये 5000-00 (अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र) प्रतिस्थापित किया जाता है।

यह संशोधन वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101702561 से अनुमोदित है।

13893-931  
18/07/17

(ललित कुमार)  
उप शासन सचिव  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग  
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रबंधक संचालक राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., द्वितीय तल, नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड़, जयपुर।
4. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. प्रबंधक (मेडिकल) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., मेडिकल अनुभाग, एस. जी.आर.- 1, नेहरू पैलेस, टोंक रोड़, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. ए.सी.पी., कम्प्यूटर शाखा को उक्त अधिसूचना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
7. गार्ड फाईल।

उप शासन सचिव